प्रेस नोट – **24.07.2025**

बिहार एसआईआर (SIR) का उद्देश्य: कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं

1. उन मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूची, जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म नहीं भरे हैं, मृत मतदाताओं की सूची, और जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं—इन सभी की जानकारी बीएलओ/ईआरओ/डीईओ/सीईओ द्वारा 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी गई है, ताकि वे किसी भी त्रुटि की पहचान कर सकें।

2. एसआईआर आदेश के अनुसार, कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक किसी नाम के छूटने पर दावा प्रस्तुत कर सकता है अथवा गलत नाम दर्ज होने पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

3. अब तक 99% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है।

4. बीएलओ/बीएलए ने 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम रिपोर्ट किए हैं।

5. बीएलओ/बीएलए ने 31.5 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम रिपोर्ट किए हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं।

6. बीएलओ/बीएलए ने 7 लाख ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया है, जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं।

7. स्थानीय बीएलओ/बीएलए के अनुसार 1 लाख मतदाता वर्तमान में पता नहीं चल पा रहे हैं।

8. स्थानीय बीएलओ/बीएलए द्वारा घर-घर जाकर संपर्क करने के बावजूद 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

9. 7.21 करोड़ (91.32%) मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण हो चुका है; इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष प्राप्त हो रहे फॉर्म एवं बीएलओ/बीएलए की रिपोर्ट्स का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनकी जांच की जा सके।

10. एसआईआर आदेश के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी, जिसकी छपी हुई और डिजिटल प्रतियां सभी 12 राजनीतिक दलों को प्रदान की जाएंगी। यह प्रारूप सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

निर्वाचन आयोग एक बार फिर दोहराता है कि एसआईआर आदेश के अनुसार कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक छूटे हुए नामों के लिए दावा या गलत नामों के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता है।